

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – नमित मेहता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 128/2025 (सरफैसी)

पीरामल फाइनेन्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय-वार्डन हाउस, द्वितीय तल, सर.पी.एम रोड, फार्ट, मुम्बई-400001 शाखा कार्यालय: 302/5, तृतीय तल, जयपुर टॉवर, एम. आई. रोड जयपुर राजस्थान

.....प्रार्थी

बनाम

1. ऋषिकेश मेघवाल पुत्र श्री मेघराज मेघवाल निवास पता- 761, मीनापाडा, गांव सेरिया, सलूमबर, उदयपुर राजस्थान। एवं कार्यालय पता- 731 मीनापाडा, 131, फर्स्ट फ्लोर, आनन्द प्लाजा आयड, ब्रिज, उदयपुर। एवं सम्पत्ति पता- आराजी न. 5782, प्लॉट न. 117 शक्ति नगर बी, भीन्डर, वल्लभनगर, उदयपुर।
2. श्री किशोर कुमार मेघवाल पुत्र मेघराज मेघवाल निवास पता- 761, मीनापाडा, गांव सेरिया, सलूमबर, उदयपुर

.....ऋणी/अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट, 2002



आदेश

दिनांक:- 06/01/2026

प्राधिकृत अधिकारी, पीरामल फाइनेन्स लिमिटेड द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम-2002 SARFAESI Act 2002 की धारा-14 के तहत यह प्रार्थना-पत्र जरिये प्रतिनिधि/अधिवक्ता श्रीमती श्वेता जैन ने ऋषिकेश मेघवाल पुत्र श्री मेघराज मेघवाल के विरुद्ध प्रस्तुत कर, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत ऋण के समय रखी गयी गिरवी सम्पत्ति का कब्जा लेने हेतु इस न्यायालय से अनुरोध किया है।

कम्पनी के उपस्थित अधिवक्ता/प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह बताया कि अप्रार्थी/ऋणी को बैंक/कम्पनी द्वारा कुल 6,82,289/- (अक्षरे छः लाख बरासी हजार दो सौ निव्यासी रूपये) का ऋण स्वीकृत किया गया। इस ऋण की एवज में निम्न जायदाद/सम्पत्ति बैंक के पास गिरवी रखी गयी है जिसका विवरण निम्नानुसार है -

बंधक सम्पत्ति:- आराजी न. 5782, प्लॉट न. 117 शक्ति नगर, बी, भीन्डर, वल्लभनगर, उदयपुर।
जिसका कुल क्षैत्रफल 1300 वर्ग फीट है। उक्त सम्पत्ति की चारो सीमाएँ निम्नानुसार हैं-
उत्तर में आवागमन का रास्ता दक्षिण में भुखण्ड संख्या 116
पूर्व में आवासीय भुखण्ड सं. 118 पश्चिम में आवागमन का रास्ता

चूंकि ऋणी/अप्रार्थी ऋषिकेश मेघवाल पुत्र श्री मेघराज मेघवाल के द्वारा बैंक/कम्पनी से प्राप्त किये गये ऋण के पेटे प्रार्थी के पक्ष में ऋणी एवं जमानतियों द्वारा गारंटी, करार एवं दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर कर इसे निष्पादित कर दिये गये थे, परन्तु उक्त ऋणी द्वारा बैंक से प्राप्त की गयी ऋण राशि का भुगतान नहीं किये जाने से ऋणी के ऋण खाते को दिनांक 11.04.2021 को एन.पी.ए. (Non Performing Asset) घोषित किया गया।

फलस्वरूप अप्रार्थी ऋषिकेश मेघवाल पुत्र श्री मेघराज मेघवाल के द्वारा SARFAESI Act के तहत ऋण राशि मय ब्याज 6,89,749/- रु० (अक्षरे छः लाख उनसत्तर हजार सात सौ उनपच्चास रूपये) दिनांक 31.05.2021 तक ब्याज शामिल करते हुए भुगतान हेतु बकाया है। SARFAESI Act की धारा 13(2) के तहत बकाया भुगतान करने हेतु जरिये रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 16.06.2021 को भेजा गया इसके बाद भी अप्रार्थी ने देय राशि का भुगतान कम्पनी को नहीं किया।

जिला कलक्टर
उदयपुर

"Provided further that on receipt of the affidavit from Authorized Officer, The District Magistrate or the Chief Metropolitan Magistrate, as the case may be, shall, after satisfying the contents of the affidavit pass suitable orders for the purpose of taking possession of the secured assets '[within a period of thirty days from the date of application]:

'[Provided further that if no passed by the Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate within the said period of thirty days for reason beyond his control, he may, after recording reasons in writing for the same pass the order within such further period but not exceeding in aggregate sixty day]

Provided also that the requirement of filing affidavit stated in the first proviso shall not apply to proceeding pending before any District Magistrate or the Chief Metropolitan Magistrate, as the case may be, on the date of commencement of this Act)

²(1A) The District Magistrate or the Chief Metropolitan Magistrate may authorize any officer subordinate to him --

- (i) to take possession of such asset and documents relating thereto; and
(ii) to forward such assets and documents to the secured creditor.
- (2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section (1), the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may take or cause to be taken such steps and use, or cause to be used, such force, as may, in his opinion, be necessary.
- (3) No act of the chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate '[any officer authorized by the Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate] done in pursuance of this section shall be called in question in any court or before authority.

अतः उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के संदर्भ में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये उपरोक्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के मध्येनजर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-14 सरफेसी एक्ट 2002 में प्रार्थी बैंक/कंपनी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है तथा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यदि अप्रार्थी ऋषिकेश मेघवाल पुत्र श्री मेघराज मेघवाल इस आदेश प्राप्ति से पन्द्रह दिन (15 दिन) की अवधि में ऋण का भुगतान नहीं करता है तो पैरा संख्या-2 में वर्णित बंधक रखी गई सम्पत्ति को नियमानुसार कब्जे में लिए जाने के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीण्डर जिला उदयपुर को निर्देश प्रदत्त किये जाते हैं तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने से पूर्व प्रतिभूति हित(प्रवर्तन) नियम, 2002 के प्रावधानों के तहत आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करके एवं यदि संपत्ति में कोई किरायेदार है तो उस संपत्ति को छोड़ने हेतु समुचित समय देने के उपरांत ही पैरा 2 में वर्णित संपत्ति का अधिग्रहण (कब्जा) कर प्रार्थी कंपनी को नियमानुसार सुपुर्द करेंगे। यदि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा बकाया ऋण का भुगतान कर दिया जाता है तो इस आदेश की कार्यवाही नहीं की जावे। आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ-पत्र पर दिये जा रहे हैं, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है, तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर सम्बन्धित अधीनस्थ पुलिस उप अधीक्षक को इस आदेश की पालना हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीण्डर जिला उदयपुर को आवश्यकतानुसार प्रार्थी के खर्चे पर समुचित पुलिस बल उपलब्ध करवाने हेतु पाबंद करेंगे। उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यवाही करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय के स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। इस आदेश की सूचना प्रार्थी बैंक/कंपनी, अप्रार्थीगण को देवे।

आदेश आज दिनांक 06-01-26 को मेरे द्वारा लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नमित मेहता)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
उदयपुर